<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू</u>

पीठासीन अधिकारी :— रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 120/2022

धर्मपाल पुत्र चन्दगीराम, जाति जाट निवासी भिर्र तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
—अपीलान्ट

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बुहाना ,तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)।
—रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय 30.09.2022 न्यायालय नायब तहसीलदार
बुहाना मुकदमा उनवानी सरकार बनाम धर्मपाल
<u>अं0 धारा 91 एल0 आर0 एक्ट मुकदमा नंबर 90/2022</u>

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट ——————————अपीलान्ट की ओर से ।

2. श्री श्रवण कुमार सैनी,राजकीय अधिवक्ता—————राज0 सरकार की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक 31/7/2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि – ''जमीन हाल खसरा नंबर 702 रकबा 16.92 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन जोहड़ ग्राम भिर्र तहसील बुहाना में स्थित है। उक्त जमीन में से 0.0052 हैक्टर जमीन पर अपीलांट द्वारा तारबाड़ कर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अदालत मातहत ने अतिक्रमी मानकर अतिक्रमण स्थल से बेदखल किये जाने का निर्णय दिनांक 30.09.2022 को पारित किया है जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमीन हाल खसरा नंबर 702 ग्राम भिर्र पर अपीलांट का एक इंच जमीन पर भी अतिक्रमण नहीं है। जमीन हाल खसरा नंबर 702 गैर मुमकिन जोहड़ के उत्तर दिशा में खसरा नंबर 144 रकबा 2.15 हैक्टर जमीन स्थित है, जिसमें अपीलांट 1/20 हक हिस्से का सह खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय ने जमीन हाल खसरा नंबर 144 व 702 की बिना नपती के अपीलांट को गलत रूप से अतिक्रमी मानने में कानूनी गलती की है। कानून से जहां किस्म जमीन व सद्भाविक कब्जे का बिन्दु हो वहां सद्भाविक काबिज व्यक्ति को समरी प्रक्रिया द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। रेगुलर कार्यवाही द्वारा ही बाद साक्ष्य किसी सद्भाविक व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है। आलौच्च निर्णय में अपीलांट को अतिक्रमी मानने का आधार दर्ज नहीं है। खसरा नंबर 702 की जमीन पर अपीलांट का अतिक्रमण नहीं है। नोटिस में तारबन्दी व बाड़ कर अतिक्रमण करना बताया है तथा आलौच्य निर्णय में शौचालय बनाकर अतिक्रमण करना बताया है। आलौच्य निर्णय पारित करने में अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। अपीलांट की पर्याप्त तामील नहीं है। अपीलांट को जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया आदि। अंत में अपील स्वीकार कर अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.09.06 11:25:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2022 खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना ने केवल हल्का पटवारी की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर, अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट का गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि खसरा नंबर 702 रकबा 16.92 हैक्टर के किसी भी भू–भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। जमीन हाल खसरा नंबर 702 गैर मुमकिन जोहड़ के उत्तर दिशा में खसरा नंबर 144 रकबा 2.15 हैक्टर जमीन स्थित है, जिसमें अपीलांट 1/20 हक हिस्से का सह खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय ने जमीन हाल खसरा नंबर 144 व 702 की बिना नपती के अपीलांट को गलत रूप से अतिक्रमी मानने में कानूनी गलती की है। अपीलांट को दिये गये नोटिस में तारबन्दी व बाड़ कर अतिक्रमण करना बताया है तथा आलौच्य निर्णय दिनांक 30.09.2022 में शौचालय बनाकर अतिक्रमण करना बताया है। अपीलांट की पर्याप्त तामील नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना का निर्णय दिनांक 30.09.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम भिर्र की राजकीय भूमि खसरा नंबर 702 कुल रकबा 16.92 हैक्टर किस्म गैर मु0 जोहड़ में से रकबा 0.0052 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत नोटिस जारी कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर बेदखली का आदेश दिनांक 30.09.2022 पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि " अपीलांट का गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि खसरा नंबर 702 रकबा 16.92 हैक्टर के किसी भी भू–भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। जमीन हाल खसरा नंबर 702 गैर मुमकिन जोहड़ के उत्तर दिशा में खसरा नंबर 144 रकबा 2.15 हैक्टर जमीन स्थित है, जिसमें अपीलांट 1/20 हक हिस्से का सह खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय ने जमीन हाल खसरा नंबर 144 व 702 की बिना नपती के केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को गलत रूप से [illegible] की पर्याप्त तामील नहीं है।" अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना की आदेशिका दिनांक 16.6.2022, 28.6.2022 तामील कुनिन्दा से अतिक्रमी का नोटिस अप्राप्त। अतिक्रमी को पुनः नोटिस जारी हो पत्रावली 26.7.2022 को पेश हो। दिनांक 26.7.2022 की आदेशिका में अंकित किया गया है कि अतिक्रमी अनुपस्थित पत्रावली वास्ते निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.09.06 11:25:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

दिनांक 01.8.2022 को पेश हो। आदेशिका दिनांक 1.8.2022 में अतिक्रमी को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 6.9.2022 को पेश हो, दिनांक 6.9.2022 को अतिक्रमी को पुनः नोटिस जारी होकर पत्रावली 30.9.2022 को पेश हो। दिनांक 30.9.2022 की आदेशिका में अतिक्रमी अनुपस्थित विस्तृत निर्णय लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। उक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि अधीनस्थ न्यायालय में अतिक्रमी/अपीलांट की तामील कब हुई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अतिक्रमी धर्मपाल को धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस दिनांक 16.6.2022 का जारी होने की प्रति संलग्न है जिसकी पुश्त पर अंकित किया गया है कि "प्रार्थी अपने घर पर मौजुद नहीं मिला, उनके घरवालों ने नोटिस लेने से मना किया, रिपोर्ट सेवामें पेश है। इस पर भी तामिल कुनिन्दा की कोई तारीख अंकित नहीं है। पत्रावली में उसके बाद अतिक्रमी धर्मपाल को कोई नोटिस जारी किये जाने व तामील होने की प्रति नहीं है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट मे अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 702 रकबा 16.92 हैक्टर किस्म गैर.मु0 जोहड़ में 0.0052 हैक्टर पर तारबाड़ कर अतिक्रमण करना बताया है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09. 2022 में शौचालय बनाकर अतिक्रमण करना बताया है जो तथ्य आपस में विरोधाभाषी है। अपीलांट का कथन कि हाल खसरा नंबर 702 गैर मुमकिन जोहड़ के उत्तर दिशा में खसरा नंबर 144 रकबा 2.15 हैक्टर जमीन स्थित है, जिसमें अपीलांट 1/20 हक हिस्से का सह खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय ने जमीन हाल खसरा नंबर 144 व 702 की बिना नपती के अपीलांट को गलत रूप से अतिक्रमी माना है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित न्यायोचित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09'.2022 उनवानी सरकार बनाम धर्मपाल, मु0नं0 90/2022 धारा 91 एल.आर.एक्ट निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार बुहाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे विवादित स्थल का स्वयं मौका निरीक्षण कर राजस्व कर्मचारियों की टीम द्वारा भूमि खसरा नंबर 702 व खसरा नंबर 144 ग्राम भिर्र का सीमाज्ञान करवाकर अगर अपीलांट का अतिक्रमण पाया जाता है तो पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.7.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सोंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.09.06 11:25:07 IST
Reason: SelfAttested